परिपत्र संख्या-1/2014

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर-भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ-7(39)जन/2013/पार्ट-I/ 1750 दिनांक : 13/01/2014

परिपत्र

विषय : राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-56 में वित्त विधेयक, 2013 के द्वारा किये गये संशोधन के द्वारा किये गये प्रावधान की पालना करने के संबंध में।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-56 में वित्त विधेयक, 2013 के द्वारा किये गये संशोधन के द्वारा किये गये प्रावधान की पालना करने के संबंध में विभाग द्वारा पत्रांक एफ.7 (39)जन/2013/पार्ट-I/ 18412-425 दि. 29.10.13 अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षकों को प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि, शुल्कों एवं शास्ति की बकाया वसूली के प्रकरणों की प्रविष्टि उस सम्पत्ति के राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थानीय निकाय संस्थाओं के रिकॉर्ड में की जानी है। इस क्रम में बकाया वसूली के प्रकरणों की प्रभार की एक प्रति संबंधित राजस्व विभाग एवं स्थानीय निकाय विभागों को भिजवाई जानी थी। आपके अधीनस्थ उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त प्रावधान के संदर्भ में की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करावें एवं निरीक्षण के दौरान यह जाँच करें कि उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जा रही हैं अथवा नहीं? यदि उक्त प्रावधान की पालना नहीं की गई हो तो तत्काल बकाया वसूली प्रकरणों के प्रभार की प्रति संबंधित राजस्व/स्थानीय निकाय संस्थाओं को भिजवाई जाकर शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जावें।

उपरोक्त विधिक प्रावधान के संदर्भ में शासन उप सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा पत्रांक प.2(42)वित्त/कर/2013 दिनांक 23.12.13 विभाग को प्रेषित कर प्रावधान को स्पष्ट करते हुए निर्देशित किया गया है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-56 में यह प्रावधान है कि बकाया स्टाम्प ड्यूटी एवं शास्ति आदि की प्रतिविष्टियाँ पंजीयन अधिनियम, 1908 में विर्निदिष्ट अनुक्रमणिकाओं में की जायेगी एवं इन अनुक्रमणिकाओं में प्रविष्ट प्रभार की एक प्रति भूमि की श्रेणी के अनुसार संबंधित तहसीलदार या नगरीय निकाय को भिजवाकर उनके रिकॉर्ड में इन प्रविष्टियों का इन्द्राज किये जाने की व्यवस्था है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-56 के प्रावधानों के अनुसार बकाया स्टाम्प ड्यूटी एवं शास्ति आदि की प्रविष्टियाँ सुसंगत Indexes में करने एवं तत्पश्चात् इन Indexes की प्रतियाँ संबंधित राजस्व अधिकारियों/नगरीय निकायों को उनके रिकॉर्ड में इन्द्राज करने हेतु भिजवाना सुनिश्चित करें।

भविष्य में निरीक्षण आदि के दौरान उपरोक्त विधिक प्रावधानों की पालना नहीं पाये जाने पर इसे गम्भीरता से लिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(रामखिलाड़ी मीणा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान-अजमेर

क्रमांक : एफ-7(39)जन/2013/पार्ट-I/ 1751- 1825 दिनांक : 13-01-2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।

4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर / समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
10. समस्त उप पंजीयकगण (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान को पालनार्थ।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जाँच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर